UPMP010019442024

Presented on : 15-03-2024
Registered on : 21-03-2024
Decided on : 08-09-2025
Duration : 1 years, 5 months, 24 days

IN THE COURT OF
District & Session Judge AT Mainpuri,Mainpuri
Presided Over by PANKAJ KUMAR AGRAWAL

सिविल प्रकीर्ण संख्याः 34/2024

सत्यराम

बनाम

मुकेश चन्द्र

08.09.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही है, न ही कोई अधिवक्ता महोदय उपस्थित है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोण्डेंट की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सिविल अपील दिनांक 15.03.2024 को प्रस्तुत की गयी है। जिस पर मुंसरिम द्वारा यह आख्या दी गयी कि 'न्याय शुल्क अपर्याप्त' है। न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2024 को मुंसरिम आख्या के आधार पर न्याय शुल्क अपर्याप्त होने के कारण प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील को प्रकीर्ण वाद के रूप् में दर्ज किया गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2024 को कोर्टफीस दाखिल करने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2024 से आज नियत दिनांक तक वांछित कोर्टफीस अदा नही की गयी है। प्रार्थी/अपीलार्थी स्वंय भी अनुपस्थित है और प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नही है, कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। विगत तिथि पर भी प्रार्थी/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा है और विपक्षी उपस्थित रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रस्तुत अपील के निस्तारण में कोई रूचि नही है। अतः प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण, प्रार्थी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल अपील, प्रार्थी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में, अंगीकरण के स्तर पर निरस्त की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः08.09.2025

(पंकज कुमार अग्रवाल)
जिला जज, मैनपुरी

PANKAJ KUMAR AGRAWAL

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2025.09.09 14:34:56 +0530